कृषि अनुसंधान उप केंद्र ,समदडी, (बालोतरा)
(कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर)
समदडी , जिला – बालोतरा, राजस्थान - 344 021

क्रमांक प. एफ 24 () / फार्म स्टोर / कृअउके / समदडी / 2024-25 //187-196, **दिनांक – 12.12.2024**

<u>खुली निविदा आमंत्रण सूचना</u>

कृषि अनुसंधान उप केंद्र समदडी (बालोतरा) के फार्म पर कृषि व अन्य कार्यो हेतु अनुबंध पर श्रमिक उपलब्ध कराने हेतु जिसका विवरण **UBN:JAU2425SSOB00161 & NIB : JAU2425A0138** से बंद लिफाफे में मोहरबन्द निविदाए आमंत्रित की जाती हैं| विस्तृत विवरण राजस्थान राज्य लोक उपापन की वेब साईट - https://sppp.rajasthan.gov.in अथवा कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर की वेब साईट www.aujodhpur.ac.in पर पढ़ा जा सकता हैं |

प्रभारी अधिकारी

प्रभारी अधिकारी
कृषि अनुसंधान उप केन्द्र,
समदड़ी, जिला–बालोतरा
(राज.) - 344021

कृषि अनुसंधान उप केंद्र,समदडी,बालोतरा,(राज.)

समदडी, जिला - बालोतरा, राज. ३४४-०२१

AGRICULTURAL RESEARCH SUBSTATION,SAMDARI
(AGRICULTURE UNIVERSITY, JODHPUR (RAJASTHAN)
Samdari, Distt- Balotra (Rajasthan) 344-021
Mobile & Phone- 9426109352, 02900294225
Email – arsssamdari@gmail.com

Dr Surendra Kumar
Officer In-Charge

क्रमांक प. एफ 24 ( )/ फार्म स्टोर/ कृअउके./ समदडी/ 2024-25/ 187-196 दिनांक-12/12/2024

खुली निविदा आमन्त्रण सुचना

कृषि विश्वविधालय,जोधपुर के कृषि अनुसंधान उप केंद्र समदडी, बालोतरा के फार्म पर रबी,खरीफ 2024-25 की फसलो में विभिन्न कृषि व अन्य कार्यो हेतु अनुबंध पर श्रमिक उपलब्ध करवाने हेतु मुहरबंद निविदा (अनुमानित लागत 500000 /- अक्षरे पांच लाख रूपये मात्र) आमंत्रित की जाती हैं | इच्छुक व्यक्ति उक्त कार्य के लिए निविदा प्रपत्र, शुल्क रु. 500 /- (अक्षरे पांच सो मात्र) नगद जमा कर **दिनांक .27.12.2024 वार शुक्रवार को सुबह 11.00 बजे तक कृषि अनुसंधान उप केंद्र समदडी** के कार्यालय से निविदा प्रपत्र प्राप्त कर सकते हैं | पूर्ण रूप से भरी हुई निविदा मय धरोहर राशी रूपये 10000 /- (अक्षरे दस हजार रुपये मात्र) बैंक ड्राफ्ट / बैंकर्स चेक जो **"ऑफिसर इंचार्ज एग्रीकल्चरल रिसर्च सब स्टेशन, समदडी, जिला-बालोतरा" "(Officer In-Charge, Agricultural Research Sub Station, Samdari, District Balotra)"** के नाम देय हो, दिनांक 27.12.2024, वार - शुक्रवार को दोपहर 1.00 बजे तक जमा करवा सकते हैं | निविदा उसी दिन को दोपहर 2.00 बजे के बाद खोली जाएगी निविदा प्रपत्र व शर्तो को कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर की वेब साईट www.aujodhpur.ac.in अथवा राजस्थान राज्य लोक सेवा उपापन की वेब साईट http://sppp.rajasthan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता हैं | निविदा को स्वीकृत / अस्वीकृत / स्थगित / संशोधन आदि करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता का रहेगा |

प्रभारी अधिकारी
प्रभारी अधिकारी
कृषि अनुसंधान उप केन्द्र,
समदड़ी, जिला–बालोतरा
(राज.) - 344021

प्रतिलिपि ; निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1.श्रीमान वित्त नियंत्रक महोदय, कृषि विश्वविधालय जोधपुर, (राजस्थान)
2.श्रीमान निदेशक अनुसंधान, कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर, (राजस्थान)
3. श्रीमान क्षेत्रीय निदेशक अनुसंधान, डी.बी.आर.सी. कृषि अनुसंधान केंद्र, मंडोर, जोधपुर, (राजस्थान)
4. श्रीमान कोषाधिकारी, कृषि विश्वविधालय जोधपुर, (राजस्थान)
5. नो. अधिकारी कृषि विवि. जोधपुर से निवेदन हैं की इस निविदा को वि.वि.,की वेबसाइट पर अपलोड किया जाये
6. लेखा शाखा / फार्म मेनेजर – कृषि अनुसंधान उप केंद्र समदडी , बालोतरा
7. सुचना पट – कृ.अनु.उप के.- समदडी, पंचायत सीमिति, ग्राम पंचायत समदडी (बालोतरा)

प्रभारी अधिकारी
प्रभारी अधिकारी
कृषि अनुसंधान उप केन्द्र,
समदड़ी, जिला–बालोतरा
(राज.) - 344021

कृषि अनुसंधान उप केंद्र, समदडी

(कृषि विश्वविधालय, जोधपुर)

जिला – बालोतरा, (राजस्थान) 344-021

कृषि व अन्य कार्यो के लिए अनुबंध पर श्रमिक उपलब्ध कराने हेतु निविदा

(वर्ष 2024-25)

निविदा प्रपत्र क्रमांक	वर्ष 2024-25 / 02
निविदा क्रम संख्या	क्रमांक प.एफ 24 ( ) /फार्म स्टोर/ कृअउके./ समदडी /2024-25 / 187-196 दिनांक – 12.12.2024
निविदा प्रपत्र शुल्क	500 /- रूपये रशीद सख्या -------------------------- दिनांक ------------
निविदा वर्ष	2024-25
श्रमिक उपलब्ध कराने की अनुमानित अवधि	जनवरी 2025 से दिसम्बर 2025 तक
अनुमानित लागत	रु 500000 /- (अक्षरे-पांच लाख मात्र /-)
निविदा प्रपत्र उपलब्ध होने की तिथि	दिनांक – 13.12.2024
निविदा जमा कराने की अंतिम तिथि	दिनांक – 27.12.2024 दोपहर 1.00 बजे तक
निविदा खोलने की तिथि	दिनांक – 27.12.2024 दोपहर 2.00 बजे बाद
निविदा खोलने का स्थान	कार्यालय - कृषि अनुसंधान उप केंद्र,समदडी, बालोतरा (राजस्थान)
पत्राचार हेतु पता	प्रभारी अधिकारी कृषि अनुसंधान उप केंद्र समदडी बालोतरा (कृषि विश्वविधालय जोधपुर) पि.को.– 344-021

नोट :- निविदा प्रपत्र, शुल्क रु. 500 /- (अक्षरे पांच सो मात्र) नगद जमा कर दिनांक - 27.12.2024, वार - शुक्रवार को सुबह 11.00 बजे तक कृषि अनुसंधान उप केंद्र, समदडी कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं । तथा पूर्ण रूप से भरा हुआ निविदा प्रपत्र, धरोहर राशी के साथ दिनांक –27.12.2024 दोपहर 1.00 बजे तक कृषि अनुसंधान उप केंद्र,समदडी कार्यालय में स्वीकार की जाएगी, **धरोहर राशी, बैंक ड्राफ्ट / बैंकर्स चेक द्वारा** जो की **"ऑफिसर इंचार्ज एग्रीकल्चरल रिसर्च सब स्टेशन समदडी जिला - बालोतरा" "(Officer In-Charge, Agricultural Research Sub Station, Samdari, District Balotra)"** के नाम देय हो, स्वीकार किया जाएगा |

प्रभारी अधिकारी

प्रभारी अधिकारी
कृषि अनुसंधान उप केन्द्र,
समदड़ी, जिला–बालोतरा
(राज.) - 344021

कृषि अनुसंधान उप केंद्र, समदडी,(बालोतरा)

कृषि विश्वविधालय, जोधपुर (राजस्थान)

निविदा प्रपत्र

(कृषि व अन्य कार्यो के लिए अनुबंध पर श्रमिक उपलब्ध कराने हेतु)

निविदा प्रपत्र शुल्क रु 500/- (अक्षरे रु पांच सो मात्र) रशीद संख्या .... दिनांक .... निविदा सुचना क्रमांक प / (24) फार्म स्टोर / कृअनुउके / समदडी / 2024-25 / 187-196 दिनांक -12.12.2024. के तहत कृषि अनुसंधान उप केंद्र समदडी (बालोतरा) कृषि विश्वविधालय जोधपुर पर कृषि व अन्य कार्यो के लिए श्रमिक उपलब्ध कराने का निविदा प्रपत्र धरोहर राशी रु 10000 /- (अक्षरे रूपये दस हजार मात्र /-) बैंक ड्राफ्ट / बैंकर्स चेक संख्या ....दिनांक ....

निविदादाता का नाम व पूरा पता - ....

....

दूरभाष नम्बर यदि हो ....मोबाइल नम्बर ....

किसी भी प्रकार का कर (पी.एफ.ए ई.एस.आई. या अन्य कर या श्रमिक लाभ) निविदादाता द्वारा दी गयी दर में सम्मलित रहेगा |

क्र. स.	कृषि एवं अन्य कार्यो का विवरण	कार्मिक को देय राशी (सरकारी दर को आधार मानते हुए भरे)*	EPF	ESI	सार्विस चार्ज	कुल निविदा दर (2+3+4+5)
	1.	2.	3.	4.	5.	
1.	अकुशल श्रमिक – फसलो की बुवाई, सिंचाई , दवाई छिडकाव, निराई गुडाई, रोगिंग, फ़सलो का पक्षियों व जानवरों से बचाव, कटाई एव कटी हुई फसल इकठा करने, गहाई, ओसाई,बीज साफ़ कर पेकिंग व तोल कर स्टोर में जमा कराने का कार्य, फार्म स्टोर की साफ़-सफाई एवं दवाई धुम्रिकरण का कार्य, फार्म पर सफाई, पदों की कटाई छटाई, फार्म की सीमा पर फेंसिंग की रिपेयरिंग, कार्यालय के आस-पास सफाई का कार्य। **(प्रति 8 घंटे)**					
2.	अर्द्ध कुशल श्रमिक – Expermental Observations , रात्री के समय प्रायोगिक एवं बिजिय फसलो, नलकूप, सोलर पंप, कार्यालय भवनों तथा फार्म की देखभाल का कार्य। **(प्रति 8 घंटे)**					
3.	अकुशल श्रमिक – कार्यालय शोचालय की साफ़-सफाई का कार्य। **(प्रति 2 घंटे)**					
4.	अर्द्ध कुशल श्रमिक – बिजली एवं नल से सम्बन्धित कार्य। **(प्रति 2 घंटे)**					
5.	**कुशल श्रमिक** – ट्रेक्टर चालक **(प्रति 4 घंटे)**					

- श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी

निविदादाता / ठेकेदार

कृषि अनुसंधान उप केंद्र, समदडी, बालोतरा

(कृषि विश्वविधालय, जोधपुर)

सुचना क्रमांक प. एफ. 24 ( ) / फार्म स्टोर / कृअनुउके / समदडी / 2024-25 / 187-196 दिनांक – 12/12/2024

कृषि व अन्य कार्यो के लिए अनुबंध पर श्रमिक उपलब्ध कराने हेतु निविदा की शर्ते

1 मुहर बंद निविदा **"प्रभारी अधिकारी, कृषि अनुसंधान उप केंद्र, समदडी बालोतरा"** के नाम देय होनी चाहिए |

2 निविदा मुहर बंद लिफ़ाफ़े में भोतिक रूप में भी जमा करवानी हैं, जिसके लिफ़ाफ़े पर **"कृषि व अन्य कार्यो के लिए अनुबंध पर श्रमिक उपलब्ध कराने हेतु निविदा तथा दिनांक 27.12.2024"** लिखा होना चाहिए |

3 प्रत्येक कार्य की निविदा दर स्पष्ट रूप से अंको एवं शब्दों में लिखी होनी चाहिए |

4 सशर्त निविदा स्वीकार नही की जाएगी |

5 निविदादाता निविदा शर्तो का अध्ययन करने के पश्चात ही प्रस्तुत करे तथा प्रत्येक पृष्ठ पर निविदादाता के हस्ताक्षर होने चाहिए |

6 निविदा दरे निविदा अनुमोदन के पश्चात बारह महीने के लिए मान्य होगी | आपसी सहमती से यह आगामी छह माह की समयावधि के लिए बढ़ाई जा सकती हैं |

7 निविदा के साथ 10000/- (अक्षरे- दस हजार रूपये मात्र /-) धरोहर राशि बैंक डिमांड ड्राफ्ट / बैंकर्स चैक के साथ जो की **"ऑफिसर इंचार्ज, एग्रीकल्चरल रिसर्च सब स्टेशन, समदडी, बालोतरा (Officer In-Charge, ARSS, Samdari, District- Balotra)"** के नाम देय हो व निविदा प्रपत्र शुल्क रु. 500/- (अक्षरे- पांच सो रूपये मात्र /-) नगद जमा कर निविदा प्रपत्र प्रस्तुत करे | बिना धरोहर राशी के निविदा स्वीकार नही की जाएगी तथा धरोहर राशी के रूप में चेक स्वीकार नही किया जायेगा |

8 निविदा दिनांक 27.12.2024, को दोपहर 02.00 बजे के बाद खोली जाएगी | यदि किसी कारणवश उस दिन का अवकाश रहता हैं, तो अगले दिन उसी समय व उसी स्थान पर निविदा खोली जाएगी |

9 किसी भी निविदा को स्वीकृत / अस्वीकृत / स्थगित / निरस्त आदि करने का अधिकार प्रभारी अधिकारी, कृषि अनुसंधान उप केंद्र, समदडी के पास सुरक्षित रहेगा एवं प्रभारी अधिकारी के निर्णय सर्वमान्य होंगे |

10 ठेकेदार के अधीन श्रमिको को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करना होगा | ठेकेदार इसके लिए बाध्य होगा |

11 किसी भी नाबालिग या सजायाफता व्यक्ति को कार्य पर नही लगाया जायेगा |

12 कार्य प्रभारी अधिकारी / फार्म प्रभारी / फार्म प्रबन्धक / कृषि पर्यवेक्षक की निगरानी में उनके निर्देश के अनुसार पूरा करना होगा |

13 कृषि कार्यो के लिए जरुरी सामान जैसे फावड़ा, कुदाली, गेंती, खुरपी, दंताली आदि स्वय के लाने होने तथा अन्य मशीनरी जैसे ट्रेक्टर, ट्रोली, सीड ड्रिल, थ्रेशर, स्प्रे मशीन व सिंचाई के साधन आदि कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराए जायेंगे | फार्म पर कार्य करवाने के लिए श्रमिको को लाने एवं ले जाने के लिए कोई भी साधन कृषि अनुसधान उप केंद्र के द्वारा उपलब्ध नही करवाया जायेगा |

14 ठेकेदार द्वारा नियोजित श्रमिको के ई.एस.आई. व भविष्य निधि आदि व अन्य कर, श्रमिक दुर्घटना व श्रमिक कल्याण का उतरदायित्व ठेकेदार का होगा | ई.एस.आई. व भविष्य निधि आदि व अन्य कर का रिकार्ड यदि आवश्यक हो तो श्रम निरीक्षक द्वारा चाहे गये अनुसार समय- समय पर जांच हेतु प्रस्तुत करना होगा, इस संदर्भ में इस केंद्र का कोई उतरदायित्व नही होगा |

15 कार्य की प्रकृति एवं मांग के अनुसार श्रमिक उपलब्ध करवाने होंगे | ठेकेदार / निविदादाता को समय - समय पर अग्रीम रूप से सूचित किया जाता रहेगा | ठेकेदार / निविदादाता को उसी अनुसार निर्धारित समय पर कार्य करवाना होगा अन्यथा कार्य सम्पादन में किसी भी प्रकार के विलम्ब को कृषि अनुसंधान उप केंद्र का नुकसान माना जायेगा | जो धरोहर राशी के बराबर अथवा कमेटी जो निर्धारित करेगी उसी अनुसार नुकसान की भरपाई ठेकेदार को करनी होगी |

16 संविदा पर करवाए जाने वाले कार्यो के लिए निर्धारित मापदडो के अनुसार कार्य न होने पर उस कार्य को सुधार कर पूरा करवाने की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी, जिसको निविदादाता द्वारा स्वय के खर्च से व्यवस्थित रूप से पूरा करवाना होगा | यदि ठेकेदार ऐसा करने में असमर्थ रहा हो उस कार्य को अनुसंधान केंद्र द्वारा ठेकेदार के जोखिम पर करवाया जायेगा |

17 ठेकेदार / निविदादाता के श्रमिको द्वारा यदि फार्म की फसलो अथवा सम्पति को किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचाया गया तो उसका हर्जाना ठेकेदार को भुगतना पड़ेगा अथवा नुकसान का हर्जाना अदा नही करने पर धरोहर राशी अथवा देय भुगतान में से काट लिया जायेगा |

18 भुगतान केवल पूरा करवाए गये कार्य की मात्रा के अनुसार ही किया जायेगा तथा ठेकेदार को अग्रीम तोर पर धन, सामान अथवा किसी प्रकार की सेवा प्रदान नही की जाएगी | भुगतान हेतु बिल पूर्ण हुए कार्य की मात्रा के अनुसार माह में केवल एक बार ही स्वीकार किया जायेगा | ठेकेदार को देय भुगतान में व्यवसाय कर आयकर आदि काट कर ही भुगतान किया जाएगा |

19 सफल निविदादाता के अतिरिक्त सभी की धरोहर राशी निविदा अनुमोदन के पश्चात सात दिन के अंदर अंदर लौटा दी जाएगी | धरोहर राशी पर कोई ब्याज देय नही होगा |

20 सफल निविदादाता यदि ठेका बीच में छोड़ देता हैं तो उसकी धरोहर राशी व करवाए गये कार्य बकाया भुगतान जब्त करके ब्लेक – लिस्टेड घोषित कर दिया जायेगा |

21 कार्यालय द्वारा स्वीकृत दरो के अतिरिक्त किसी प्रकार का भुगतान नही किया जायेगा तथा स्रोत पर आयकर सेवाकर या सरकारी देनदारी अन्य कर देय हो तो नियमानुसार क़टोती निविदादाता से की जाएगी |

22 ठेकेदार श्रमिको को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम दर से कम भुगतान नही करेगा |

23 अनुबन्धकर्ता को रूपये 500/- के नॉन ज्युडीशियल स्टाम्प पर इकरारनामा पत्र (अनुबंध) प्रेषित करना होगा एवं साथ ही अनुबंध राशी की 5 प्रतिशत (5%) राशी की प्रतिभूति (सुरक्षा) राशी के रूप में निर्धारित अवधि में जमा कराना होगा |

24 अनुबंध पर रखे श्रमिक निर्धारित समय पर ड्यूटी पर उपस्थित होंगे एवं कार्य संतोषजनक नही होने पर स्वीकृत अनुबंध निरस्त कर नई निविदा आमंत्रित कर ली जावेगी | स्वीकृति दर से अधिक दर से भुगतान करने पर अनुमोदित अनुबंधकर्ता से अधिक भुगतान की गयी राशी वसूल की जाएगी |

25 अशिष्ट व्यवहार करने व कार्य संतोषजनक नही होने पर श्रमिक को हटा दिया जायेगा | श्रमिको के संदर्भ में यदि किसी प्रकार का कोई दायित्व उत्पन्न होता हैं तो उसके लिए सम्बन्धित निविदादाता ही व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी रहेगा तथा अनुसंधान केंद्र किसी भी रूप से उत्तरदायी नही होगा तथा इस सम्बन्ध में अनुसन्धान केंद्र के विरुद्ध की गयी सभी कार्यवाही या कानूनी कार्यवाही का प्रभाव शून्य होगा |

26 अनुबंध की कार्य अवधि के दौरान श्रमिक की दुर्घटना से मृत्यु या अन्य घटना घटित होने पर उससे उत्पन्न किसी भी प्रकार के विवाद की पूर्ण जिम्मेदारी अनुबंधकर्ता / ठेकदार / निविदादाता की होगी | ऐसी स्थिति में कृषि अनुसंधान उप केंद्र, समदडी (बालोतरा) की किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी नही होगी न ही इस सम्बन्ध में कृषि विश्वविधालय, जोधपुर प्रशासन से क्षतिपूर्ति की मांग की जाएगी |

27 अनुबंध अवधि के दौरान लगाये जाने वाले श्रमिको के संदर्भ में श्रम क़ानूनो एवं प्रावधानों की पूर्ण पालना हेतु निविदादाता उत्तरदायी रहेगा |

28 राजस्थान Transparency in Public Procurement Rule 2013 एवं GF & AR के प्रावधान प्रभावी होंगे |

29 किसी भी विवाद का निपटारा करने हेतु कृषि अनुसंधान उप केंद्र, का निर्णय अंतिम रूप से मान्य होगा एवं निविदादाता उसके लिए बाध्य होगा | विशेष परिस्थतियो में विवाद को माननीय कुलपति महोदय, कृषि विश्वविधालय, जोधपुर के आविस्ट्रेशन में प्रस्तुत करना होगा और उनका निर्णय ठेकेदार / निविदादाता को मान्य होगा |

30 यदि ठेकेदार / निविदादाता के श्रमिक द्वारा विश्वविद्यालय सेवामे स्थायी नियुक्ति के लिए न्यायलय में वाद प्रस्तुत किया जाता हैं तो ठेकेदार / निविदादाता इसके लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा |

31 निविदादाता / फर्म /एजेंसी के पास श्रम विभाग में पंजीयन होना चाहिए तथा उसके पास आयकर विभाग द्वारा निर्गत वैध पैन नम्बर (PAN No.) / सेवाकर नम्बर इत्यादि व राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एव नियम 2013 के अंतर्गत मानव संसाधन की सेवाओं के उपापनो के सम्बन्ध में दिशा निर्देशित प्रमाण पत्र जो ऐसे निविदादाता के लिए आवश्यक हो होने चाहिए |

32 कुशल एवं अकुशल श्रमिको का नाम, पता, एवं तकनीकी ज्ञान की जानकारी लिखित में कृषि अनुसंधान उप केंद्र समदडी बालोतरा (कृषि विश्वविद्यालय,जोधपुर) को देना होगा जेसे ही कर्मचारी बदला जाए उसकी सुचना मय सम्पूर्ण विवरण के सम्बन्धित अधिकारी को उपलब्ध कराएगा |

33 निविदादाता द्वारा इस आशय की घोषणा / अंडरटेकिंग दी जायेगी कि वह पूर्व में किसी भी विभाग / संस्था / सरकार द्वारा असंतोषजनक कार्य / दुराचरण / दोषसिद्धि के कारण आरोपित नहीं किया गया है तथा न ही ब्लैक लिस्टेड किया गया है |

34 ठेकेदार / निविदादाता द्वारा तथा उपलब्ध श्रमिको द्वारा मादक पदार्थो का सेवन नहीं किया जायेगा | अशिष्ट व्यवहार करने व कार्य संतोषजनक नहीं होने पर श्रमिक को हटा दिया जायेगा | श्रमिकों के संदर्भ में यदि किसी प्रकार का कोई दायित्व उत्पन होता है तो उसके लिए संबधित निविदादाता ही व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी रहेगा तथा कार्यालय कृषि अनुसन्धान उप केंद्र,समदडी बालोतरा (कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर) के विरुद्ध की गई सभी कार्यवाही या कानूनी प्रभाव शुन्य होगी |

35 निविदा के साथ निविदादाता को फर्म का श्रम विभाग में पंजीकरण प्रमाण पत्र एंव ई. पी. एफ. का पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रमाणित छाया प्रति सलग्न करना आवश्यक हैं | जिसके अभाव में निविदा पर विचार नहीं किया जाएंगा |

36 कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 एंव कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अंतर्गत नियमानुसार पंजीकृत निविदादाता / संवेदक की उक्त निविदा में भाग ले सकते है | पंजीकरण प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि बोली दस्तावेज के साथ सलंग्न करना आवश्यक है |

37 निविदादाता / संवेदक द्वारा नियोजीत श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से उनके बैंक खातों में ही किया जायेगा | संबधित निविदादाता / संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों के बैंक खाते में जमा कराई गई राशि का विवरण प्रस्तुत करने अथवा श्रमिकों के बैंक खातों में जमा कराई गई राशी के विवरण की संतुष्टि होने पर ही निविदादाता / संवेदक को आगामी माह के बिल का भुगतान किया जायेगा |

38 बोलीदाता / संवेदक / निविदादाता को राज्य / केंद्र सरकार की नवीनतम दरों के अनुसार अपने समस्त कार्मिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. जमा कराना होगा, जिसमें नियोजित कार्मिकों की मजदूरी राशि से कटौती और संवेदक / निविदादाता का अंशदान शामिल होगा | संवेदक द्वारा अपने आगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे श्रमिकों के ई.पी.एफ. और ई.एस.आई. के अंशदान की राशि नियमानुसार जमा कराये जाने की पुष्टि में संबधित चालान की प्रति प्रस्तुत किये जाने पर ही संवेदक / निविदादाता को आगामी माह के बिल / बिलों का भुगतान किया जायेगा |

39 राज्य में लागू श्रम नियमों के अंतर्गत अपने समस्त कार्मिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.सी.आई. की राशि जमा कराने का दायित्व संवेदक / निविदादाता का होगा |

40 श्रम विधि के अंतर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केंद्र / राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों की पालना नहीं करने की स्थिति में उसके परिणामों / दायित्वों के लिए संवेदक / निविदादाता स्वयं उत्तरदायी होगा |

41 नियोजित कार्मिकों को 240 दिवस पूर्ण कर लिए जाने पर औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1974 में विहित प्रावधानों के अनुसार श्रम नियोजित श्रमिकों को हटाने कार्यमुक्त करने, नोटिस, वेतन, छंटनी, मुआवजा आदि देने का समस्त उत्तरदायित्व संवेदक / निविदादाता का होगा |

42 कार्य संपादन अवधि के दौरान कार्य के सम्बन्ध / संदर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने / ई.एस.आई. करवाने / सामूहिक दुर्घटना बीमा कराने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व संवेदक का होगा, इसके लिए उपापन संस्था की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी |

43 निविदादाता के पास कम से कम 10 श्रमिकों का पंजीकरण होना आवश्यक है |

44 किसी भी शर्त की पालना ना होने पर निविदा किसी भी समय रद्द की जा सकती हैं तथा धरोहर राशी जब्त कर जुर्माना लगाया जा सकता हैं |

मुझे निविदा की समस्त शर्ते मंजूर हैं , तथा मैं उपरोक्त शर्तो पर कार्य करवाने के लिए सहमत हूँ | निविदादाता / कोंट्रेक्टर के हस्ताक्षर दिनांक -	**प्रभारी अधिकारी** **हस्ताक्षर मय मुहर**	कमेटी सदस्य